बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध वार्ड नं0–22, शहरी क्षेत्र, समस्तीपुर अन्तर्गत श्री अमोल कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, FPS No. 122100201017 एवं कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से सुनियोजित तरीके से MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर राशन कार्डधारियों के नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का अनुचित ढंग से उठाव/Transaction किये जाने, सरकार द्वारा संचालित जन–कल्याणकारी योजना का गलत ढंग से लाभ उठाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग/विचलन करने, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में इनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–547 दिनांक–30.01.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–199895 दिनांक–04.02.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत इनकी 02 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–27.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री सिन्हा के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–199895 दिनांक–04.02.2025 को निरस्त (set aside) किया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया।

अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2489 दिनांक–19.09.2025 द्वारा श्री सिन्हा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

2. उक्त के क्रम में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–525 दिनांक–30.01.2026 द्वारा इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की जाँच नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी है। उल्लेखनीय है कि एक अन्य सदृश मामले में सम्बद्ध सम्पूर्ण घटनाक्रम को लेखबद्ध करते हुए पुनः अनुशासनिक कार्रवाई संचालित किये जाने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की माँग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परामर्शित किया गया कि ...... विचाराधीन मामले में प्रशासी विभाग द्वारा नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करने के उपरान्त इनके विरूद्ध पुनः अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया जाना नियमसम्मत् नहीं है। अपीलीय प्राधिकार द्वारा Remand किये जाने पर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने, उसका पक्ष सुनने एवं तदोपरान्त समुचित निर्णय लिये जाने की कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से अपेक्षित है।

फलतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–525 दिनांक–30.01.2026 द्वारा श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध नये सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है। प्रस्तुत मामले में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर समुचित निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में पृथक आदेश से निर्गत किया जायेगा।

3. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–11/2023 – 1826 खाद्य, पटना/दिनांक– 16/04/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर –सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया, एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रशाखा पदाधिकारी–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया, Mobile No. 9304314149, E-Mail : aatish2002@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।